विज्ञापन संख्या– 01/2026 के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की नयी अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति की जॉच प्रतिवेदन की विवरणी।

प्रखंड–काको

क्र0	दावा/आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता मोबाईल न0 सहित	वार्ड/पंचायत	प्रखंड/नगर निकाय	दावा/आपत्ति प्राप्ति की तिथि	आवेदन में की गयी दावा/आपत्ति की विवरणी एवं संलग्न कागजातों की सूची।	अभ्युक्ति
1	सतोष कुमार पिता–साधुशरण दास ग्राम–बरावॉ, पोस्ट–बरावॉ थना–पाली, जिला–जहानाबाद, मो0 न0–9304444259	पंचायत बरावॉ बहि सख्या–09	प्रखड–काको	08/06/2026	1.विज्ञापन स0 01/2026 के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के वरीयता सूची के क्रमाक 8 पर विरेन्द्र कुमार, पिता–रमेश पासवान के द्वारा कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इनके घर में पूर्व से जन वितरण प्रणाली का दुकान है। 2. वरीयता सूची क्रमाक 16 पर शशिकात कुमार, पिता–विमल पासवान, पिता विमल पासवान बिहार पुलिस में कार्यरत है। इनके द्वारा आवासीय प्रमाण–पत्र भी सलग्न नहीं किया गया है तथा व्यापार स्थल की विवरणी अंकित नहीं है।	01. स्थलीय जॉच के दौरान कम्प्यूटर प्रमाण पत्र आवेदक श्री विरेन्द्र कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आवेदक श्री विरेन्द्र कुमार के चाचा श्री मुनेश्वर पासवान ज0वि0प्र0 विक्रेता है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण नियंत्रण आदेश,2016 के कडिका 11 (I) के अनुसार भाई का पुत्र सयुक्त परिवार अन्तर्गत नहीं आते है। अतः आवेदक विरेन्द्र कुमार उक्त कारण से आयोग्य नहीं होते है। 02. स्थलीय जॉच के दौरान में आवेदक श्री शशिकात कुमार द्वारा आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–BRCCO/2026/506217 प्रस्तुत किया गया है जो पचायत बरावॉ से सबधित है एव विज्ञापन निर्गत तिथि से पूर्व का है। आवेदक के पिता बिहार पुलिस में कार्यरत है। परन्तु बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण नियत्रण आदेश,2016 के कडिका 11 (VI) के अनुसार यदि आवेदक सरकारी लाभ के पद पर है तो उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए अयोग्य है। परन्तु आवेदक के परिवारिक सदस्यों के लिए ऐसी वाध्यता नहीं है।
2	कुन्दन कुमार गुप्ता पिता–सहदेव साव ग्राम+पोस्ट–पिजोरा पंचायत–पिजोरा प्रखड–काको, अनुमडल–जहानाबाद मो0 न0–9128819377	13 पिजोरा	काको प्रखड	08/06/2026	1. व्यापार स्थल से सबधित कागजात के छायाप्रति 2.KYP कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र के छायाप्रति।	प्राप्त दावा आपति पर अभ्यार्थी के मूल कम्प्यूटर प्रामाण–पत्र से मिलान किया गया जो प्रथम दृष्टया सही पाया गया। भविष्य में जॉच के क्रम में उक्त प्रामण पत्र यदि फर्जी पाया जाता है तो अभ्यार्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी। व्यापार स्थल से सबधित कागजात मूल आवेदन के साथ सलग्न किया जा सकता है।
3	शशिकात कुमार पिता–कृष्ण मुरारी प्रसाद ग्राम–बरावॉ थाना–पाली जहानाबाद मो0 न0–9162100877 9905832467	बरावॉ पचायत	काको प्रखड	09/06/2026	कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	प्राप्त दावा आपति पर अभ्यार्थी के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया व पाया कि मूल आवेदन के कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में ADCA अकित है। दावा आपत्ति मे उपलब्ध कराये गये ADCA अंक पत्र एव प्रामाण–पत्र की निर्गत तिथि विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व का है। अतः उपरोक्त के आलोक मे अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये ADCA अक पत्र एव प्रमाण पत्र को सलग्न किया जा सकता है। साथ ही शैक्षणिक एम.एस.सी अंक पत्र की पुनः गणना उपरान्त एम.एस.सी (80.88 %) अकित करते हुए आवश्यक सुधार की जा सकती है।

BEO Kako

4	अमृत रजन कुमार ग्राम–बीबीपुर पोस्ट–बरावाँ पचायत–बरावाँ थाना–पाली जहानाबाद मो0 न0–6200232448	03 / बरावाँ वार्ड न0–03 पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	10 / 06 / 2026	आवेदक ने ग्राम–बीबीपुर,पचायत–खालीसपुर से नहीं अपितु ग्राम–बीबीपुर,पचायत–बरावाँ से आवेदन करने का दावा किया है।	मूल आवेदन में अभ्यर्थी के द्वारा ग्राम–बीबीपुर अंकित रहने के कारण त्रुटीवस औपबंधिक मेधा सूची में इनका नाम पचायत–खालिसपुर में प्रविष्टी हो गयी थी। प्राप्त दावा आपत्ति पर पुन: स्थलीय जॉच के दौरान पाया गया कि आवेदक ग्राम–बीबीपुर,पचायत–बरावाँ के निवासी है। अत इन्हें पचायत बरावाँ की मेधा सूची में सामिल करने की अनुशसा की जाती है।
5	सुनीता कुमारी पति–राघवेन्द्र कुमार मुहल्ला–बाभन टोला ग्राम–काको, जहानाबाद मो0 न0–7050836754	वार्ड स0–12 नगर पचायत काको	प्रखंड काको नगर पचायत काको	12 / 06 / 2026	1. मैट्रिक का प्रमाण पत्र का छाया प्रति। 2. आवेदक हैप्पी सुमम पिता–संतोष प्रसाद के वार्ड न0–12 के निवासी नहीं होने की आपति करने के सबध में।	1. मैट्रिक प्रमाण पत्र को स्वीकृत की जा सकती है। 2. आवेदक हैप्पी सुमम के द्वारा आवासीय प्रमाण–पत्र सख्या–BRCCO/2026/2074401 सलग्न है जो वार्ड न0 12 सबधित है। उक्त के सबध में अचल अधिकारी, काको से अभ्यर्थी हैप्पी शुमम के स्थानीय निवासी के सबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी। अचल अधिकारी, काको के पत्राक 3096 दिनांक 04.11.2026 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि अभ्यर्थी हैप्पी शुमम वार्ड न0–12 के स्थायी निवासी नहीं है।
6	शशिकांत कुमार पिता–बिमल पासवान ग्राम–गोलकपुर पोस्ट–बरावाँ थाना–पाली (काको) जिला–जहानाबाद मो0 न0–9523051473	पचायत बारवाँ	प्रखड काको	15 / 06 / 2026	1. आवासीय प्रमाण–पत्र का छाया प्रति। 2. बसीका का छाया प्रति 3. औपबधिक वरीयता सूची का छाया प्रति।	प्राप्त दावा आपति पर अभ्यार्थी के मूल आवासीय प्रामाण–पत्र से मिलान किया गया जो प्रथम दृष्टया सही पाया गया। भविष्य में जॉच के क्रम में उक्त प्रामण पत्र यदि फर्जी पाया जाता है तो अभ्यार्थी के विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी। बसीका से सबधित कागजात मूल आवेदन के साथ संलग्न किया जा सकता है। साथ ही अभ्यर्थी व्यापार स्थल के सबंध में कहना है कि व्यापार स्थल परिवर्त्तनीय है। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश, 2016 के कडिका–17 (1) में निहित है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में वर्णित आवश्यक वस्तुओं के भडारण स्थल या व्यवसाय स्थल में परिवर्तन चाहता है, तो वह इसके लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को कारण बताते हुए एव परिवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान सबधी विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन समर्पित करेगा।
7	प्रियका रानी पति–जितेन्द्र कुमार ग्राम–मिर्जापुर पचायत–मनियावा पो0–नगवाँ, थाना–काको जिला–जहानाबाद पिन कोड–804420 मो0 न0–7779883311	वार्ड न0–11 मनियावाँ पचायत	प्रखड–काको	17 / 06 / 2026	ए0डी0सी0ए0 सर्टिफिकेट का छाया प्रति जमीन का रसीद का छाया प्रति	निर्गत ए0डी0सी0ए0 प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि विज्ञापन सख्या–01 / 2026 के तिथि से पूर्व का है। अत: अभ्यार्थी के मूल आवेदन के साथ उक्त प्रमाण पत्र को सलग्न किया जा सकता है। व्यापार स्थल से संबंधित कागजात मूल आवेदन के साथ सलग्न किया जा सकता है।

8	बिरेन्द्र कुमार पिता–रमेश पासवान ग्राम–सिकरिया, पो0–बरावाँ थाना–पाली, जिला–जहानाबाद पिन कोड–804452 मो0 न0–7296001779	वार्ड न0–08 बरावाँ पचायत	प्रखड–काको	17 / 06 / 2026	कम्प्यूटर सर्टिफिकेट एव कम्प्यूटर मार्क्स शीट का छाया प्रति	प्राप्त दावा आपति पर अभ्यार्थी के मूल कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र एव मूल अक पत्र से मिलान किया गया जो प्रथम दृष्टया सही पाया गया। भविष्य में जॉच के क्रम में उक्त प्रमाण पत्र यदि फर्जी पाया जाता है तो अभ्यार्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
9	सुषमा कुमारी पति–प्रमोद रजन ग्राम–मुडेरा ग्राम पचायत–नेरथुआ थाना–भेलावर जिला–जहानाबाद पिन कोड–804417 मो0 न0–7903430774	ग्राम पचायत नेरथुआ	प्रखड–काको	17 / 06 / 2026	1. ग्राम पचायत मुखिया का पैड का प्रति 2. निवास प्रमाण–पत्र का छाया प्रति पचायत नेरथुआ की मेधा सूची में शामिल करने के संबध में।	स्थलीय जॉच के दौरान पाया गया की आवेदक सुषमा कुमारी, पचायत–नेरथुआ के निवासी है परन्तु टकन भूलवस इन्हें पचायत–पिजोरा की औपबधिक मेधा सूची में अकित कर लिया गया था। अत: इन्हें पचायत–नेरथुआ की मेधा सूची में शामिल करने की अनुशसा की जाती है।
10	नीरज कुमार पिता–विजय शर्मा ग्राम+ पो0–बरावाँ थाना–पाली, जिला–जहानाबाद पिन कोड–804452 मो0 न0–7296001779	पचायत बरावाँ	प्रखड–काको	17 / 06 / 2026	मेधा सूची में अपने से उपर क्रमांक 1 से 13 तक सभी उम्मीदवारों की कम्प्यूटर प्रामाण पत्र सहित अन्य कागजात की जॉच करने के सबध में।	स्थलीय जॉच के दौरान चयनित उम्मीदवारों की कम्प्यूटर एव अन्य सर्टिफिकेट की मूल प्रति की जॉच किया गया जो प्रथम दृष्टया सही पाया गया। भविष्य में जॉच के क्रम में उक्त प्रमाण–पत्र / अक पत्र यदि फर्जी पाया जाता है अभ्यार्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
11	सुषमा कुमारी पति–प्रमोद रजन ग्राम–मुडेरा, पो0–पिजोरा, ग्राम पचायत–नेरथुआ थाना–काको जिला–जहानाबाद पिन कोड–804417 मो0 न0–7903430774	ग्राम पचायत नेरथुआ	काको प्रखड	18 / 06 / 2026	01. आवेदिका रूवी कुमारी, पति–धीरज कुमार, पूर्व में आगनवाडी सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत थी परन्तु इन पर वितिय अनियमितता के गभीर अरोप एव कार्य निष्ठ नहीं होने के कारण इनको पदच्युत कर दिया गया था जो अयोग्य है। 02. आवेदिका गीता कुमारी, के पति–सुशात कुमार, सरकारी नौकरी में कार्यरत है। 03. आवेदिका सुधा कुमारी, के पति– हरेन्द्र कुमार, सरकारी नौकरी में कार्यरत है।	01.आवेदिका रूवी कुमारी के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सख्या–BCHC/2026/174135 सलग्न किया गया है। जिसमें इनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पायी गयी। 02. बिहार लक्ष्यित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) ओदश,2016 कडिका 11 (VI) के अनुशार ज0वि0प्र0 विक्रेता को सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए परन्तु विक्रेता के परिवार के लिए ऐसी वाध्यता नहीं है। 03. बिहार लक्ष्यित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) ओदश,2016 कडिका 11 (VI) के अनुशार ज0वि0प्र0 विक्रेता को सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए परन्तु विक्रेता के परिवार के लिए ऐसी वाध्यता नहीं है।

BDO Kako

12	राजीव रंजन कुमार पिता–रविन्द्र कुमार सिंह ग्राम–मनियारी पो0–नौरू, वार्ड न0–03 पंचायत–पिजोरा जिला–जहानाबाद मो0 न0–9852781764	वार्ड 03, पंचायत पिजोरा	काको प्रखड	18/06/2026	01. आवेदक कुन्दन कुमार गुप्ता का आवेदन पुरा भरा हुआ नहीं है, व्यापार स्थल में विवरणी अंकित नहीं है, उनका ग्राम–पिंजोरा है। जहा पहले से 500 मिटर के अन्दर तीन राशन डिलर है। 02. आवेदक शशाक कुमार सरकारी स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षक है।	01. उक्त के संबध में कहना है कि जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय उपरान्त पचायत में व्यापार स्थल हेतु रिक्त ग्राम से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित है। आवेदक कुन्दन कुमार गुप्ता के द्वारा व्यापार स्थल से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है। बिहार लक्ष्यित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश,2016 के प्रावधानानुसार ज0वि0प्र0 विक्रेता का चयन पचायत के अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कम्प्युटर ज्ञान स्थानीय निवासी एवं अन्य विन्दु के आधार पर किया जाना है। 02. स्थलीय जॉच एवं अभ्यर्थी से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि अभ्यर्थी श्री शशाक कुमार कोहरा हाई स्कूल मखदुमपुर में आई.सी.टी. शिक्षक पद पर कार्यरत हैं।
13	प्रियका रानी पति–जितेन्द्र कुमार ग्राम–मिर्जापुर पचायत–मनियावाँ, वार्ड न0–11 पोस्ट–नगवाँ, थाना–काको जिला–जहानाबाद पिन कोड–804420 मो0 न0–7779883311	वार्ड नं0–11 पंचायत मनियावाँ	प्रखंड–काको	18/06/2026	पी0जी0 का सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	प्राप्त दावा आपति में उपलब्ध करये गये एम.ए. का अंक पत्र निर्गत तिथि विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व का है। अभ्यार्थी के मूल पी0 जी0 प्रामाण–पत्र एव अंक पत्र से मिलान किया गया जो प्रथम दृष्टया सही पाया गया। भविष्य में जॉच के क्रम में उक्त प्रामण पत्र यदि फर्जी पाया जाता है तो अभ्यार्थी के विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
14	मुकेश पंडित पिता का नाम–सीताराम पंडित ग्राम+पो0+थाना–काको प्रखंड–काको जिला–जहानाबाद	वार्ड न0–09	प्रखंड–काको	18/06/2026	आवेदक हैप्पी सुभम की निवास प्रमाण–पत्र जॉच करने के संबंध में।	आवेदक हैप्पी सुभम के द्वारा आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–BRCCO/2026/2074401 संलग्न है जो वार्ड नं0 12 संबधित है। उक्त के संबध में अंचल अधिकारी, काको से अभ्यर्थी हैप्पी शुभम के स्थानीय निवासी के संबध में प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, काको के पत्रांक 3096 दिनांक 04.11.2026 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि अभ्यर्थी हैप्पी शुभम वार्ड न0–12 के स्थायी निवासी नहीं है।
15	सतीश कुमार पिता–तपेश्वर प्रसाद ग्राम+पो0+थाना–काको जिला–जहानाबाद पिन कोड–804418	वार्ड स0–03	प्रखड काको नगर निकाय काको	16/06/2026	1. किरायनामा का छाया प्रति 2. कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की छाया प्रति	निर्गत कम्प्यूटर प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि विज्ञापन सख्या–01/2026 के तिथि से पूर्व का है एवं औपबंधिक मेधा सूची में पूर्व से प्रविष्ट है। इसके अलावे अभ्यर्थी के द्वारा किरायानामा से संबंधित उपलब्ध कराये गये कागजात को मूल आवेदन के साथ सलग्न किया जा सकता है।

16	अमरजीत कुमार, पिता–रामस्वरूप यादव, ग्राम–लालमन विगहा, पो0–बरावाँ, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18/06/2026	सीमा कुमारी, पति–राकेश कुमार, ग्राम–लालमन विगहा के झगड़ालू एव दबग होने के सबध में।	उल्लेखनीय है कि असमाजिक या झगड़ालू होना बिहार लक्ष्यित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के कडिका 11 के तहत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताऐं में शामिल नहीं है। अभ्यर्थी सीमा कुमारी, पति–राकेश कुमार के द्वारा समर्पित मूल आवेदन के कॉलम–6,7,8 में आवेदक के विरूद्ध अपराधिक मामला में "नहीं" अकित है। साथ ही इस सन्दर्भ में कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के चयन उपरान्त अनुज्ञप्ति निर्गत पूर्व उनसे चरित्र प्रमाण पत्र की माँग की जा सकती है।
17	मनोज कुमार, पिता–चनारिक प्रसाद, ग्राम–सिकरिया, पो0–बरावाँ, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18/06/2026	रेणु कुमारी सिन्हा, पति–अक्षय कुमार के दो वार मैट्रिक परीक्षा पास करने एव उनके वार्ड मे पहले से ज0वि0प्र0 दुकान होने के सबध में।	अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध करये गये शैक्षणिक अक पत्र एव प्रमाण पत्र का मिलान उनके मूल अक पत्र एव प्रमाण पत्र से की गयी जो प्रथम दृष्टया सही पाया गया। भविष्य में जाँच के क्रम में उक्त प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के अनुसार ग्रामीण में जन वितरण प्रणाली की दुकान हेतु पंचायतवार रिक्ति का प्रावधान है।
18	मनोज कुमार, पिता–जितन प्रसाद, ग्राम–बरावाँ, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18/06/2026	अनुपम कुमारी, पिता–सजय कुमार सिन्हा के पास काफी जमीन जायदाद होने और इनके वार्ड में पहले से दुकान होने के सबध में।	उल्लेखनीय है कि असमाजिक या झगड़ालू होना बिहार लक्ष्यित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के कडिका 11 के तहत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताऐं में शामिल नहीं है। अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित मूल आवेदन के कॉलम–6,7,8 में आवेदक के विरूद्ध अपराधिक मामला में "नहीं" अंकित है। साथ ही इस सन्दर्भ में कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के चयन उपरान्त अनुज्ञप्ति निर्गत पूर्व उनसे चरित्र प्रमाण पत्र की माँग की जा सकती है।
19	मनोरजन शर्मा, पिता–अभिजीत शर्मा, ग्राम–उसरी, पो0–भदसारा, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18/06/2026	शिखा कुमारी, पिता–राजीव रजन के काफी चल–अचल सम्पति होने एव गलत तरीके से EWS Certificate बनवाने के सबध में।	पचायत बरावाँ रोस्टर क्रमाक–251 गैर आरक्षित वर्ग के लिए है। अधिक सम्पति होना बिहार लक्ष्यित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश, 2016 के कडिका 11 के तहत उचित मूल्य की दुकान की लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु अपात्रता की श्रेणी में नही आता है।
20	नेहा कुमारी, पिता–अमरेश प्रसाद, ग्राम–बोधी विगहा, पो0–भदसारा, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18/06/2026	सुधा कुमारी, पति–विरेन्द्र कुमार के झगड़ालू एव दबग होने के सबध में।	उल्लेखनीय है कि असमाजिक या झगड़ालू होना बिहार लक्ष्यित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के कडिका 11 के तहत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताऐं में शामिल नहीं है। अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित मूल आवेदन के कॉलम–6,7,8 में आवेदक के विरूद्ध अपराधिक मामला में "नहीं" अकित है। साथ ही इस सन्दर्भ मे कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के चयन उपरान्त अनुज्ञप्ति निर्गत पूर्व उनसे चरित्र प्रमाण पत्र की माँग की जा सकती है।

Sujan Kako

21	शम्भु कुमार पिता–श्री सुदर्शन प्रसाद, ग्राम–धीरा विगहा, पंचायत–सुलेमानुपर, प्रखड–काको	पंचायत– सुलेमानपुर	प्रखड–काको	24 / 06 / 2026	कम्प्युटर योग्यता के आधार पर मेधा सूची बनाने के सबध में।	प्राप्त दावा आपति 18.06.2026 के वाद का है। बिहार लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के कडिका 09 (V) के अनुसार कम्प्यूटर ज्ञान की प्राथमिकता है, कम्प्यूटर योग्यता की नहीं। अत: कम्प्यूटर ज्ञान हेतु DCA/ADCA/BCA/MCA या अन्य किसी भी प्रकार की कम्प्यूटर ज्ञान से सबधित प्रमाण–पत्र स्वीकार्य है परन्तु इससे मेधा सूची में वरीयता में कोई अन्तर नही पड़ता है। खाद्य एव उपभोक्ता सरक्षण विभाग बिहार के पत्रांक–2733 दिनांक–02 / 06 / 2026 से भी यह स्पष्ट है।
22	राहुल प्रसाद पिता–श्री बिरेन्द्र प्रसाद, ग्राम–बरावाँ, पो0–बरावाँ, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18 / 06 / 2026	आवेदक टिकू कुमार का झगडालू होने एवं इनके वार्ड में पहले से ज0वि0प्र0 दुकान होने के सबध में।	उल्लेखनीय है कि असमाजिक या झगड़ालू होना बिहार लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के कडिका 11 के तहत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ में शामिल नहीं है। अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित मूल आवेदन के कॉलम–6,7,8 में आवेदक के विरूद्ध अपराधिक मामला में "नहीं" अंकित है। साथ ही इस सन्दर्भ में कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के चयन उपरान्त अनुज्ञप्ति निर्गत पूर्व उनसे चरित्र प्रमाण पत्र की माँग की जा सकती है। इसके अलावे स्थलीय जॉच के दौरान चरित्र प्रमाण–पत्र संख्या–BCHC/2026170113 की जॉच की गयी जिसमे कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पायी गयी। उक्त के संबध में कहना है कि जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय उपरान्त पंचायत में व्यापार स्थल हेतु रिक्त ग्राम से सबधित विज्ञापन प्रकाशित है। आवेदक टिकू कुमार के द्वारा व्यापार स्थल से सबधित कागजात प्रस्तुत किया गया है। बिहार लक्षित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के प्रावधानानुसार ज0वि0प्र0 विक्रेता का चयन पचायत के अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कम्प्युटर ज्ञान स्थानीय निवासी एव अन्य विन्दु के आधार पर किया जाना है।
23	अशू शर्मा पिता–श्री विश्वजीत शर्मा, ग्राम–बरावाँ, पो0–बरावाँ, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18 / 06 / 2026	आवेदक शशिकांत कुमार के द्वारा फर्जी दस्तावेज दिये जाने के संबध में।	प्राप्त दावा आपति पर अभ्यर्थी शशिकांत कुमार के नाम से संलग्न शैक्षणिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र को सबधित विश्वविद्यालय (सिक्किम स्टेट यूनिर्वसिटी)। उक्त यूनिर्वसिटी ने इमेल के माध्यम से अवगत कराया गया कि अभ्यर्थी शशिकांत कुमार को रजिस्टेशन न0–SK16BSC5456342 से सबधित कोई भी अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है। यूनिर्वसिटी से प्राप्त प्राप्त सूचना के अनुसार अभ्यर्थी शशिकात कुमार का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र स्नातक एव स्नातकोतर का प्रमाण–पत्र सही नहीं पाया गया।
24	अशू शर्मा पिता–श्री विश्वजीत शर्मा, ग्राम–बरावाँ, पो0–बरावाँ, थाना–पाली, प्रखड–काको	पचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18 / 06 / 2026	आवेदक शशिकात कुमार के द्वारा फर्जी दस्तावेज दिये जाने के सबध में।	प्राप्त दावा आपति पर अभ्यर्थी शशिकांत कुमार के नाम से संलग्न शैक्षणिक स्नातक एव स्नातकोत्तर अक पत्र एव प्रमाण–पत्र को संबधित विश्वविद्यालय (सिक्किम स्टेट यूनिर्वसिटी)। उक्त यूनिर्वसिटी ने इमेल के माध्यम से अवगत कराया गया कि अभ्यर्थी शशिकांत कुमार को रजिस्टेशन न0–SK16BSC5456342 से सबधित कोई भी अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है। यूनिर्वसिटी से प्राप्त प्राप्त सूचना के अनुसार अभ्यर्थी शशिकात कुमार का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र स्नातक एव स्नातकोतर का प्रमाण–पत्र सही नहीं पाया गया।

25	श्री ऋतुराज कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा 217	वार्ड स0–11	प्रखड–काको	08/06/2026	प्रखड–काको, वार्ड स0–11 हेतु आवेदक श्री कमलेश कुमार के नाम से पी0डी0एस0 प्रदान करने के सबध में।	बिहार लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 में निहित प्रावधान स्थानीय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान अधिकतम शैक्षणिक योग्यता व अन्य विन्दुओं के आधार पर अधिक योग्य उम्मीदवार का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
26	राहुल प्रसाद पिता–श्री विरेन्द्र प्रसाद, ग्राम–बरावाँ, पो0–बरावाँ, थाना–पाली, प्रखंड–काको	पंचायत–बरावाँ	प्रखड–काको	18/06/2026	आवेदक टिंकू कुमार का झगड़ालू होने एवं इनके वार्ड में पहले से ज0वि0प्र0 दुकान होने के सबंध में।	उल्लेखनीय है कि असमाजिक या झगडालू होना बिहार लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के कडिका 11 के तहत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ में शामिल नहीं है। अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित मूल आवेदन के कॉलम–6,7,8 में आवेदक के विरूद्ध अपराधिक मामला में "नहीं" अकित है। साथ ही इस सन्दर्भ में कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के चयन उपरान्त अनुज्ञप्ति निर्गत पूर्व उनसे चरित्र प्रमाण पत्र की माँग की जा सकती है। इसके अलावे स्थलीय जाँच के दौरान चरित्र प्रमाण–पत्र सख्या–BCHC/2026170113 की जाँच की गयी जिसमे कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पायी गयी। उक्त के संबंध में कहना है कि जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय उपरान्त पचायत में व्यापार स्थल हेतु रिक्त ग्राम से संबधित विज्ञापन प्रकाशित है। आवेदक टिकू कुमार के द्वारा व्यापार स्थल से संबधित कागजात प्रस्तुत किया गया है। बिहार लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश,2016 के प्रावधानानुसार ज0वि0प्र0 विक्रेता का चयन पचायत के अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कम्प्युटर ज्ञान स्थानीय निवासी एव अन्य विन्दु के आधार पर किया जाना है।
27	सीमरन कुमारी	वार्ड न–13	प्रखड–काको	02/07/2026	नगर पंचायत काको के अन्तर्गत वार्ड न0–13 में आवेदक रूही कुमारी, पति–उदय कुमार एवं सृष्टि शिवानी , पिता–संतोष कुमार का वार्ड न0–13 का स्थायी निवासी नहीं होने के सबंधमें।	1. अचलाधिकारी, काको के पत्राक 2084 दिनाक 06.08.2026 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में अभ्यर्थी रूही कुमारी पति–उदय कुमार वार्ड न0–13 न0प0 काको के स्थायी निवासी नहीं है। आवेदिका रूही कुमारी ने अपना आवासीय मायके से बनवाया है। 2. अचलाधिकारी, काको के पत्राक 2084 दिनाक 06.08.2026 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में अभ्यर्थी सृष्टि शिवानी, पिता–संतोष कुमार वार्ड न0–13 न0प0 काको के स्थायी निवासी नहीं है।
28	शम्भु कुमार पिता–श्री सुदर्शन कुमार, ग्राम–धीर दिगहा, पचायत–सुलेमानपुर, प्रखड–काको	पचायत– सुलेमानपुर	प्रखड–काको	30/06/2026	कम्प्युटर योग्यता के आधार पर मेधा सूची बनाने के सबध में।	प्राप्त दावा आपति 18.06.2026 के वाद का है। बिहार लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश,2016 के काडिका 09 (V)के अनुसार कम्प्यूटर ज्ञान की अनिवार्यता है, कम्प्यूटर योग्यता की नहीं। अत कम्प्यूटर ज्ञान हेतु DCA/ADCA/BCA/MCA या अन्य किसी भी प्रकार की कम्प्यूटर ज्ञान से सबधित प्रमाण–पत्र स्वीकार्य है परन्तु इससे मेधा सूची में वरीयता में कोई अन्तर नही पड़ता है। खाद्य एव उपभोक्ता सरक्षण विभाग बिहार के पत्राक–2733 दिनांक–02/06/2026 से भी यह स्पष्ट है।
29	प्रखड आपूर्ति पदाधिकारी, काको।		प्रखड–काको			अभ्यर्थी जयचंद कुमार पिता राजेन्द्र चौधरी, वार्ड न0–09, प्रखड–काको के मूल आवेदन में बी. कॉम. 3rd year Semester-V, (session-2023-2027) अंक पत्र (निर्गत तिथि 27.01 2026) सलग्न है जो कि बी.कॉम. पूर्ण नहीं है। पूर्व मे उपलब्ध कराये गये भूलवश पूर्ण मानते हुए बी.कॉम. अंक की प्रविष्टी की गयी थी। स्थलीय जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ की अभ्यर्थी श्री जयचन्द कुमार का शैक्षणिक योग्यता वर्त्तमान में इंटरमीडीयट है। मेधा सूची में इटरमीडीयट (61 00 %) प्रविष्टी करते हुए आवश्यक सुधार की जा सकती है।
30	प्रखड आपूर्ति पदाधिकारी, काको।		प्रखड–काको			अभ्यर्थी गीता कुमारी पति–सुशात कुमार पचायत–नेरथुआ, प्रखंड–काको का स्थलीय जाँचोपरान्त मूल आवेदन का पुन: अवलोकन किया गया। मूल आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बी. ए., बी एड. अकित है साथ ही बी एड. का अक पत्र (77.30 %) एव प्रमाण पत्र सलग्न है। औपबधिक मेधा सूची मे त्रुटीवश बी ए का अक प्रविष्टि हो गयी थी। आवश्यक सुधार करते हुए बी एड का अक (77.30 %) की प्रविष्टि की जा सकती है।

.	प्रखड आपूर्ति पदाधिकारी, काको।		प्रखड–काको			अभ्यर्थी प्रियंका प्रियदर्शनी, पति–मिथलेश कुमार प्रखड–मखदुमपुर का स्थलीय जाँचोपरान्त मूल आवेदन का पुन: अवलोकन किया गया। मूल आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बी ए., बी एड अकित है साथ ही बी एड का प्रमाण पत्र सलग्न है। औपबधिक मेधा सूची में त्रुटीवश बी ए का अक प्रविष्टि हो गयी थी। आवश्यक सुधार करते हुए बी एड की प्रविष्टि की जा सकती है।
32	प्रखड आपूर्ति पदाधिकारी, काको।		प्रखड–काको			अभ्यर्थी रामानुज दास पिता–सियाशरण दास वार्ड न0–09 प्रखड–काको का स्थलीय जाँचोपरान्त मूल आवेदन का पुन: अवलोकन किया गया। मूल आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बी ए., बी एड. अकित है साथ ही बी एड का अक पत्र (74.85 %) एव प्रमाण पत्र सलग्न है। औपबधिक मेधा सूची में त्रुटीवश बी ए का अक प्रविष्टि हो गयी थी। आवश्यक सुधार करते हुए बी एड. का अंक (74.85 %) की प्रविष्टि की जा सकती है।
33	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, काको।		प्रखड–काको			स्थलीय जाँच के क्रम में शाजी अहमद पति–शमजाद आलम, वार्ड न0–11 के निवासी नहीं है जबकि अभ्यर्थी के द्वारा वार्ड न0–11 से सबधित आवासीय प्रमाण–पत्र आवेदन में सलग्न किया गया है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के निवासी से सबधित विस्तृत जाँच की आवश्यकता है।

04/11/26

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,
काको।